

# न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया ।


आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)


आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया....., सा०....., सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:- 116 /2017

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
16.10.2017	<p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत मुफ्फसिल थाना में दर्ज कांड संख्या-545/2017 दिनांक 11.08.2017 में जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3305/हि०शा० दिनांक 07.10.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, मुफ्फसिल का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई कुल-750 एम०एल० का 26 (छब्बीस) बोतल विदेशी शराब की कुल मात्रा-750 एम०एल० का 02 (दो) बोतल विदेशी शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जाँच हेतु उत्पाद रसायन निरीक्षक, कुम्हरार बिहार, पटना को भेज दिया गया है, जबकि शेष-750 एम०एल० का 24(चौबीस) बोतल विदेशी शराब मुफ्फसिल थाने के मालखाना में रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुफ्फसिल थाने के मालखाना में रखी गई कुल-750 एम०एल० का 24 (चौबीस) बोतल विदेशी शराब कुल-18 लीटर विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए मुफ्फसिल थाना कांड संख्या-545/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल-750 एम०एल० का 24 (चौबीस) बोतल कुल-18 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मुफ्फसिल/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p> 	

31/10/17

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1. ५	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
	<p>डी० बी० नं०.....१०५...../विधि, दिनांक.....२१/५/२०१८.....</p> <p>प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मुफ्फसिल/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।</p> <p style="text-align: right;">             प्रभारी पदाधिकारी            जिला विधि शाखा,            खगड़िया।            २१/५/१८         </p>	